रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49 ] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 1997/फाल्गुन 26, 1918
No. 49] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 1997/PHALGUNA 26, 1918

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1997

**गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अपनायी जाने वाली निवेश की पद्धति**

**सं० एफ० 11(2)-पी० डी०/96.**—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11(1) पी०डी०/95, दिनांक 26 मई, 1995 और संख्या 11(2)-पी० डी० /96, दिनांक 16 सितम्बर, 1996 का अधिक्रमण करते हुए गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपादान निधियों द्वारा वृद्धिशील संग्रहणों हेतु निवेश की पद्धति 1 अप्रैल, 1997 से निम्नानुसार संशोधित रूप में प्रभावी होगी :

**निवेश की पद्धति**

| | | निवेश की जाने वाली राशि की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (i) | केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां | पच्चीस प्रतिशत |
| (ii) | (क) किसी भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित और निर्गमित सरकारी प्रतिभूतियां जो कि लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 की 18) की धारा 2 में परिभाषित की गई हैं और/या | पन्द्रह प्रतिशत |
| | (ख) कोई अन्य प्रक्राम्य प्रतिभूतियां, जो नीचे (3)(क) के अन्तर्गत आई हैं उन्हें छोड़कर, जिनके मूलधन और उन पर ब्याज की पूरी और बिना शर्त गारंटी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार ने दी हो। | |

| | | |
|---|---|---|
| (iii) | (क) कंपनी अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत यथा-विनिर्दिष्ट "सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं", सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(36-क) में यथा परिभाषित "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों" के बांड/प्रतिभूतियां: और/या (ख) सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा जारी जमा राशियों के प्रमाणपत्र | चालीस प्रतिशत |
| (iv) | न्यासियों द्वारा यथा-निर्धारित उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी में निवेश किया जाएगा। | बीस प्रतिशत |

2. कोई भी धनराशियां जो पूर्व में किए गए निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त होती हैं, वहां ऐसी धनराशियों में से आवश्यक व्यय को घटाकर उन्हें अधिसूचना में निर्दिष्ट निवेश पद्धति के अनुसार निवेशित किया जाएगा।

3. विशेष जमा योजना से मिलने वाले ब्याज को इसी विशेष जमायोजना में निवेशित किया जाएगा। इसी तरह अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज को उसी श्रेणी में पुन: निवेशित किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त पैराग्राफों में यथा परिकल्पित निवेश पद्धति वित्तीय वर्ष के अन्त तक लागू की जा सकती है।

एम० आर० चौधरी, निदेशक (बजट)

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Economic Affairs)**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1997

**Pattern of investment to be followed by the Non-Government Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds.**

**No. F. 11(2)—PD/96.**—In supersession of this Ministry's Notifications No. 11(1)—PD/95 dated 26th May, 1995 and No. 11(2)—PD/96 dated 16th September, 1996, the pattern of investment for incremental accretions by the Non-Government Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds shall stand revised as follows effective from 1st April, 1997 :—

**INVESTMENT PATTERN**

| | | **Percentage amount be invested** |
|---|---|---|
| (i) | Central Government Securities | Twenty Five Percent |
| (ii) | (a)Government Securities as defined in Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Governmenmt; and/or (b)Any other negotiable securities the principal whereof and interest whereon is fully and unconditional guaranteed by the Central Government or any state Government except those covered under iii (a) below. | Fifteen percent |
| (iii) | (a)Bonds/Securities of 'Public financial institutions' as specified under section 4 (a) of Companies Act: "Public Scctor Companies" as defined in Section 2(36-A) of the Income Tax Act, 1961 including public sector banks; and/or (b) Certificate of deposits issued by public sector banks. | Forty percent |
| (iv) | To be invested in any of the above three categories as decided by the Trustees. | Twenty percent |

2 Any moneys received on the maturity of earlier investments reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the investment pattern prescribed in this Notification.

3. Interest received on the Special Deposit Scheme shall be invested in the Special Deposit Scheme itself. Similarly, interest received under other categories may be re-invested in the same category.

4. The investment pattern as envisaged in the above paragraphs may be achieved by the end of a financial year.

M. R. Choudhary, Director (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997